राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/फा.पौ./2016–17/1518–1722 दिनांक : 29.4.2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, ...

विषयः– वर्ष 2016–17 मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।
प्रसंगः– आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 332–498 दि0 04.04.2016 एवं पत्रांक 755–876 दि0 06.04.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2016–17 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रकिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2016 में शिविर आयोजित कर कृषकों से फार्म पौण्ड निर्माण के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)
आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/फा.पौ./2016–17/1518–1722 दिनांक : 29.4.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी....समस्त।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)..... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, ... समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
24. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण

वर्ष 2016–17

कृषको के खेतो पर फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016–17 के अंतर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

राज्य में वर्षा जल संरक्षण के दृष्टिकोण से कृषको के लिये फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्य महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। वर्षा जल को फसल जीवन रक्षक सिंचाई हेतु संरक्षित करने के लिए फार्म पौण्ड (खेत तलाई) योजना भारी मृदा वाले क्षेत्रों में कारगर सिद्व हो रही है। फार्म पौण्ड का निर्माण कृषकों द्वारा उनकी निजी खातेदारी भूमि पर करवाया जाकर संरक्षित वर्षा जल को फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इससे वर्षा का जल संरक्षित होगा तथा खेत से पानी बहकर व्यर्थ नहीं जायेगा। फार्म पौण्ड निर्माण से भूमि में जल स्तर बढ़ेगा और पर्यावरण में भी सुधार होगा। यह कार्यक्रम भारी मिट्टी व कठोर निचली सतह वाली भूमि में वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के कार्य में लेने एवं फसलोत्पादन बढ़ाने में प्रभावकारी एवं काफी कारगर है।

स्थान का चुनाव, डिजायन एवं निर्माण :–

फार्म पौण्ड खेत के वर्षा जल बहाव क्षेत्र मे होना चाहिए जिससे कि फार्म पौण्ड निर्माण का उद्देश्य पूर्ण हो सके। फार्म पोण्ड हेतु काली व भारी संरचना की मिट्टी वाली भूमि सर्वोत्तम है इसमें पानी का रिसाव बहुत कम होता है। फार्मपौण्डहेतु स्थान का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि भूमि की निचली सतह कठोर हो। फार्म पौण्ड में ढलान 1 : 1 प्रतिशत का तथा निकलने वाली मिट्टी 1–1 मीटर का गेप (वर्त) देकर मेडबंदी करनी चाहिए। पानी के भराव के लिए इनलेट तथा जरूरत से ज्यादा पानी आने पर निकास की व्यवस्था जरूरी है जिससे कि पौण्ड टूटे नहीं। खेतों में जहां ढ़लान कम है, वहां इनलेट तथा निकास एक साथ हो सकता है।

जिन क्षेत्रो मे मृदा रेतली, दोमट या पानी सोखने वाली हो, पानी के रिसाव को रोकने हेतु कृषक प्लास्टिक सीट लगाकर फार्म पौण्ड का निर्माण करा सकते है।

अ–अनुदान के लिए पात्रता :–

1. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व है उन कृषकों को ही फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।
2. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
3. कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने

जावेगे अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि वे परिवार से अलग रहते है, राशन कार्ड व नरेगा जोब कार्ड अलग है।

4. जिन कृषकों ने पूर्व में फब्बारा संयंत्र अथवा पाइप लाइन पर अनुदान प्राप्त कर लिया है उनको भी फार्म पौण्ड हेतु अनुदान देय होगा। फार्म पौण्ड निर्माण कार्य स्वंय के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर अनुदान देय होगा।

5. अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगीजो कि छः माह से अधिक पुरानी नही हो तथा सादा पेपर पर शपथ देगा कि मेरे पास कुल ------ हैक्टर सिंचित एवं ------ हैक्टर असिंचित भूमि है। उसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई अन्य जमीन नहीं है।

6. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषको को प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

7. कृषि मे फार्म पौण्ड कार्य व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।

8. विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं में कृषकों को एक योजना में एक बार ही लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। फार्म पौण्ड निर्माण के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित भूमि/चक/अन्य खसरा नम्बर में भी फार्म पौण्ड निर्माण करना चाहता है तो ऐसे फार्म पौण्ड के निर्माण पर भी अनुदान दिया जा सकता है। क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार एक खसरे में एक से अधिक फार्म पौण्ड का निर्माण यदि अलग–2 हिस्सेदार कृषकों द्वारा किया जाता है तो उन्हें भी अनुदान देय होगा। संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक (1.0) हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग–2 फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।

9. फार्म पौण्ड का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्र/सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर कराया जावें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही फार्म पौण्डबनने के उपरान्त लगाये जाने वाले बोर्ड पर चेतावनी हेतु लाल स्याही से **"सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है बच्चों को दूर रखें"** का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाये ताकि फार्म पौण्ड से जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से रोका जा सके। योजनान्तर्गत निर्मित फार्म पौण्ड के भौतिक सत्यापन उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संबंधित कृषक से सादा कागज पर जनधन/पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय के आशय का शपथ पत्र लिया जाये।